

तारीख  
हुकम

न्यायालय उक्त जर्नल पत्र को अग्रे  
जुद्धा रचना उपरि नही समझता  
है। अतः न्यायालय उक्त जर्नल पत्र  
को शही हट छ खासिज किया जाता  
है। पत्रावली कैसल शुमार होकर  
नम्बर ले कम ही जावे। निर्णय  
आज दिनांक 28-3-2023 को सुनाया  
जावा।

